राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	292/2025 मुकेश कुमार योगी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सवाईमाधोपुर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सरसोप ब्लॉक चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर।	13.01.2025	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
2.	**321/2025** **नेमी चंद अजमेरा**	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4. अधीक्षक अभियंता, जल संसाधन सर्कल, भीलवाड़ा। 5. श्री छोटे लाल कोली, कार्यकारी अभियंता जरिये संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।	15.01.2025	श्री विजय पाठक, अभिभाषक
3.	**322/2025** **चिंगा राम मीणा**	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. तकनीकी निदेशक एवं पदेश संयुक्त सचिव, सूचना प्रधौगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर। 3. जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, करौली। 4. श्री लोकेश मीणा, सहायक प्रोग्रामर जरिये तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, सूचना प्रधौगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।	15.01.2025	श्री विजय पाठक, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 28.01.2025

समक्ष :– विकास सीताराम भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 200/2025 रजनी शर्मा बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 07.12.2024 के आक्षेपित आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित करके महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, रामचंद्रपुरा, शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंभावास, शाहपुरा,

जयपुर ग्रामीण में अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 सामाजिक विज्ञान के पद पर पदस्थापना दी गई थी। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 53 पर रखा गया था। (अनुलग्नक–1) दिनांक 07.12.2024 को आरोपित आदेश प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 14.11.2024 के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया था, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने शिक्षकों के अधिशेष के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी को प्रारंभिक रूप से वर्ष 2007 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बनिया का बास, सांभर लेक, जयपुर में नियुक्त किया गया था और उसके बाद उसे राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बड़ी जोड़ी, जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां उसने वर्ष 2007 से 2019 तक ड्यूटी की और वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रामचंद्रपुरा, बड़ी जोड़ी, जयपुर में काम कर रही है और उसे एमजीजीएस अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्कूल के उन्नयन पर अधिशेष घोषित किया गया था।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक 1) के आक्षेपित आदेश को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी वर्तमान कार्यरत स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, रामचंद्रपुरा, शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण में शिक्षक ग्रेड III लेवल 2 सामाजिक विज्ञान के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में

गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 200/2025 रजनी शर्मा बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीताराम भाले)
अध्यक्ष